विशाल चौहान
आई०ए०एस०

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपकम)
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ –01
ई–मेल : mduppcl12@gmail.com
दूरभाष – (0522) 2288377 (का0)
फैक्स – (0522) 2288410
CIN : U32201UP1999SGC024928

सं0 358 –मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/सी0यू0–दो/ओ0टी0एस0 दिनांकः अप्रैल, 13 ,2017

विषय– एल0एम0वी0–1 (शहरी एवं ग्रामीण), एल0एम0वी0–2 (शहरी एवं ग्रामीण), एल0एम0वी0–4बी, एल0एम0वी0–5 (शहरी एवं ग्रामीण) एवं एल0एम0वी0–6 (औद्योगिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिये विलम्बित भुगतान अधिभार ऐमनेस्टी योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

ई–मेल

प्रबन्ध निदेशक
मध्यॉचल/पूर्वान्चल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल
विद्युत वितरण निगम लि0
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक
केस्को
कानपुर

महोदय,

मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत एल0एम0वी0–1 (शहरी एवं ग्रामीण), एल0एम0वी0–2 (शहरी एवं ग्रामीण), एल0एम0वी0–4बी, एल0एम0वी0–5 (शहरी एवं ग्रामीण) एवं एल0एम0वी0–6 (औद्योगिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिये विलम्बित भुगतान अधिभार ऐमनेस्टी योजना लागू की गयी है।

सम्पूर्ण कार्ययोजना एवं मुख्यालय में भेजे जाने वाले योजना सम्बन्धी प्रगति आख्या प्रपत्रों के साथ संलग्न की जा रही है। इस योजना से राजस्व वसूली हेतु शहरी बकायों के न्युनतम 75 प्रतिशत, निजी संस्थानों एवं लघु उद्योगो के 100 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के बकायों की वसूली के लक्ष्य क्षेत्रवार, मण्डलवार एवं खण्डवार डिस्काम स्तर से निर्धारित करते हुए वाणिज्य स्कन्ध, लखनऊ को अविलम्ब सूचित करने का कष्ट करें।

कृपया उपरोक्त योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए योजना प्रभावी ढंग से लागू करने की व्यवस्था करें जिससे अधिकतम राजस्व प्राप्त हो सके। योजना की प्रगति से प्रतिदिन निर्धारित प्रारूप में 2:00 बजे अपरान्ह तक (विगत दिवस की) वाणिज्य स्कन्ध को अवगत करवाना भी सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(विशाल चौहान)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः /मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/सीयू–2/ओ0टी0एस0 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक महोदय के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. सचिव, उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
4. निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. निदेशक (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता(आ0ए0यू0), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (वा0 एवं ऊ0ले0), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. जनसम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(विशाल चौहान)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) के निजी सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

विषय :– **एल0एम0वी0–1 (शहरी एवं ग्रामीण), एल0एम0वी0–2 (शहरी एवं ग्रामीण), एल0एम0वी0–4बी, एल0एम0वी0–5 (शहरी एवं ग्रामीण) एवं एल0एम0वी0–6 (औद्योगिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिये विलम्बित भुगतान अधिभार ऐमनेस्टी योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।**

उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत एल0एम0वी0–1, एल0एम0वी0–2, एल0एम0वी0–4बी एवं एल0एम0वी0–5 के बकायेदारों को उनके दिनांक 31.03.2017 तक के विद्युत बिलों में सरचार्ज के रूप में लगायी गयी धनराशि में 100 प्रतिशत की छूट तथा एल0एम0वी0–6 के बकायेदारों को उनके दिनांक 31.03.2017 तक के विद्युत बिलों में सरचार्ज के रूप में लगायी गयी धनराशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह योजना दिनांक 15.04.2017 से प्रारम्भ हो रही है।

(1) समाधान योजना की अवधि :–

i. एल0एम0वी0–1 (शहरी), एल0एम0वी0–2 (शहरी), एल0एम0वी0–4बी एवं एल0एम0वी0–5 (शहरी) श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए दिनांक 15.04.2017 से 31.05.2017 तक प्रवृत्त रहेगी।

ii. एल0एम0वी0–1(ग्रामीण), एल0एम0वी0–2 (ग्रामीण) एवं एल0एम0वी0–5 (ग्रामीण) के लिए दिनांक 15.04.2017 से 15.06.2017 तक प्रवृत्त रहेगी।

iii. एल0एम0वी0–6 (औद्योगिक) के लिए दिनांक 15.04.2017 से 15.05.2017 तक प्रवृत्त रहेगी।

(2) पंजीकरण धनराशि :–

इस योजना का लाभ पाने हेतु उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम संलग्न प्रारूप–1 के अनुसार पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा जिसके लिये पंजीकरण के समय एल0एम0वी0–1, एल0एम0वी0–2 एवं एल0एम0वी0–5 श्रेणी के उपभोक्ताओं को रू0 1000.00 तथा एल0एम0वी–4बी एवं एल0एम0वी0–6 श्रेणी के उपभोक्ताओं को रू0 5000.00 पंजीकरण राशि के रूप में जमा की जायेगी। इस राशि को बिल के विरूद्ध किया हुआ भुगतान माना जायेगा।

(3) पंजीकरण कराये जाने की अवधि :–

i. एल0एम0वी0–1 (शहरी), एल0एम0वी0–2 (शहरी), एल0एम0वी0–4बी एवं एल0एम0वी0–5 (शहरी) श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए दिनांक 15.04.2017 से 31.05.2017 तक प्रवृत्त रहेगी।

ii. एल0एम0वी0–1 (ग्रामीण), एल0एम0वी0–2 (ग्रामीण) एवं एल0एम0वी0–5 (ग्रामीण) के लिए दिनांक 15.04.2017 से 15.06.2017 तक प्रवृत्त रहेगी।

iii. एल0एम0वी0–6 (औद्योगिक) के लिए दिनांक 15.04.2017 से 15.05.2017 तक प्रवृत्त रहेगी।

(4) पंजीकरण कार्यालय :–

योजना का पंजीकरण सामान्य रूप से खण्डीय कार्यालय में होगा। यदि खण्डीय कार्यालय काफी दूर हो तो खण्डीय कार्यालय से अधिकारी/कर्मचारीगण प्रतिदिन उपखण्ड कार्यालय में जाकर पंजीकरण का कार्य करेंगे। पंजीकरण हेतु निर्धारित अवधि एवं छूट की व्यवस्था का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा। यदि कोई उपभोक्ता पंजीकरण हेतु मण्डल कार्यालय पहुँच जाता है तो पंजीकरण की सुविधा मण्डल कार्यालय में उपलब्ध करा दी जायेगी। सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार/मुख्य बिल लिपिक प्राप्त आवेदनों को एक रजिस्टर में निर्धारित प्रारूप–2 (संलग्न) के अनुसार पंजीकृत करेंगे तथा पूर्ण अभिलेख अपने कार्यालय में रखेंगे।

(5) बिल निर्गमन :–

(क) उपभोक्ताओं के संशोधित बिल उसी दिन अथवा विलम्बतम 07 दिनों में अग्रिम सूचना के अनुसार उपलब्ध करा दिये जायेंगें। उपभोक्ताओं के प्रार्थना पत्र पर संशोधित बिल उपलब्ध कराने की तिथि अंकित कर दी जायेगी।

(ख) योजना में स्थायी रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरणों को भी सम्मिलित किया जायेगा।

(ग) ऐसे उपभोक्ता, जिनके विरूद्ध सेक्शन 3 व 5 का नोटिस निर्गत हो चुका है, वे भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है ।

(घ) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जो उपभोक्ता योजना के पंजीकरण की अन्तिम तिथि को पंजीकरण करवाते है, उनके बिल पंजीकरण की अन्तिम तिथि से विलम्बतम 07 दिवसों तक संशोधित कर दिये जायेंगे तथा बिल के संशोधन की अन्तिम तिथि से विलम्बतम 07 दिवसों तक भुगतान प्राप्त किया जायेगा।

(च) योजना में पंजीकृत ऐसे उपभोक्ता, जो संशोधित बिल का भुगतान योजना के अनुसार दी गयी किश्त की सुविधानुसार किश्तों एवं मासिक बिल का भुगतान समय पर नहीं करते है, उनके पंजीकरण निरस्त माने जाएगें तथा उनके द्वारा जमा करायी गयी पंजीकरण राशि जब्त कर ली जाएगी। ऐसे निरस्त पंजीकरण के संबंध में पुनः विचार नहीं किया जायेगा। यदि उपभोक्ता पंजीकरण के पश्चात बिल प्राप्ति के बाद निर्धारित तिथि तक बिल का भुगतान करने के लिए विद्युत कार्यालय नहीं पहुंचते हैं तो बाद में कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा नियमानुसार वसूली की प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

(छ) इस योजना के अन्तर्गत विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले भी समाधान हेतु अर्ह होंगें। उपभोक्ताओं से नोटरी द्वारा सत्यापित एफिडेविट इस आशय का प्राप्त किया जायेगा कि योजना के अन्तर्गत समाधान हो जाने पर वे न्यायालयों से अपने वाद वापस ले लेंगें। वितरण निगम द्वारा निर्गत संशोधित बीजक की देय धनराशि का भुगतान करने के उपरान्त ही सम्बन्धित बीजक में अंकित ब्याज की राशि मॉफ मानी जायेगी अन्यथा सम्पूर्ण बीजक की राशि ही बकाया रहेगी।

(ज) योजना के अन्तर्गत पंजीकृत की अन्तिम तिथि के पश्चात सभी मामले निस्तारित माने जायेंगें एवं आवश्यकतानुसार विधिक प्राविधानों के अनुसार वसूली की प्रकिया प्रारम्भ की जायेगी।

(6) अपंजीकृत बकायेदारों के विरूद्ध कार्यवाही :–

पंजीकरण अवधि समाप्त होने पर पंजीकृत बकायेदारों के अतिरिक्त अन्य सभी बकायेदारो से वसूली हेतु विद्युत विच्छेदन व भू–राजस्व की भॉति प्रभावी वसूली हेतु नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी एवं पंजीकरण अवधि में अपंजीकृत बकायेदारों से वसूली हेतु विच्छेदन की कार्यवाही प्रभावी रहेगी ।

(7) अनुमन्य छूट देने की प्रक्रिया :–

(अ) इस योजना के अन्तर्गत एल0एम0वी0–1 (शहरी एवं ग्रामीण), एल0एम0वी0–2 (शहरी एवं ग्रामीण), एल0एम0वी0–4बी एवं एल0एम0वी0–5(शहरी) विधा में माह मार्च–2017 तक के विद्युत बीजको में सरचार्ज के रूप में लगायी गयी धनराशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी यदि संशोधित बिल की देय धनराशि का एकमुश्त भुगतान किया जाता है। यदि सरचार्ज गणना योग्य नहीं है, तो सरचार्ज का निर्धारण कुल बिल की धनराशि के अधिकतम 30 प्रतिशत के समतुल्य किया जायेगा। इस प्रकार आंकलित सरचार्ज की राशि पर उपरोक्तानुसार छूट अनुमन्य होगी।

(ब) इस योजना के अन्तर्गत एल0एम0वी0–5(ग्रामीण) विधा में कृषि उपभोक्ताओं के माह मार्च–2017 तक के विद्युत बीजको में सरचार्ज के रूप में लगायी गयी धनराशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी यदि सरचार्ज गणना योग्य नहीं है, तो सरचार्ज का निर्धारण कुल बिल की धनराशि के अधिकतम 30 प्रतिशत के समतुल्य किया जायेगा। इस प्रकार आंकलित सरचार्ज की राशि पर उपरोक्तानुसार छूट अनुमन्य होगी। एल0एम0वी0–5(ग्रामीण) श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को चार किश्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान की जायेगी। निम्नवत निर्धारित किश्तों में प्रथम किश्त के भुगतान के पश्चात शेष बकाया धनराशि को तीन बराबर द्विमासिक किश्तों में भुगतान किया जा सकता है। यदि कोई उपभोक्ता निर्धारित धनराशि से अधिक धनराशि का भुगतान करना चाहता है तो उसपर प्रतिबन्ध नही है। चार किश्ते निम्नवत निर्धारित होंगी :–

(i) पहली किश्त	बकाया धनराशि का 25 प्रतिशत या रू0 10000.00 जो भी अधिक। 15.06.17 से पूर्व।
(ii) द्वितीय किश्त	शेष बकाया धनराशि का एक तिहायी। (द्विमासिक) 15.08.17 से पूर्व।
(iii) तृतीय किश्त	शेष बकाया धनराशि का एक तिहायी। (द्विमासिक) 15.10.17 से पूर्व।
(iv) चतुर्थ किश्त	शेष बकाया धनराशि का एक तिहायी। (द्विमासिक) 15.12.17 से पूर्व।

(स) इस योजना के अन्तर्गत एल0एम0वी0–6(औद्योगिक) विधा में माह मार्च–2017 तक के विद्युत बीजको में सरचार्ज के रूप में लगायी गयी धनराशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी यदि संशोधित बिल की देय धनराशि का एकमुश्त भुगतान किया जाता है। यदि सरचार्ज गणना योग्य नहीं है, तो सरचार्ज का निर्धारण कुल बिल की धनराशि के अधिकतम 30 प्रतिशत के समतुल्य किया जायेगा। इस प्रकार आंकलित सरचार्ज की राशि पर उपरोक्तानुसार छूट अनुमन्य होगी। सम्बन्धित वितरण खण्ड द्वारा उक्त किश्तों के सम्बन्ध में एक रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें की प्रथम किश्त के विवरण को अंकित करते हुये यह सुनिश्चित किया जायेगा की सभी आगामी किश्तों का भुगतान उपभोक्ता द्वारा निर्धारित समयावधि पर किया जाये।

(8) यदि समाधान योजना के अन्तर्गत पंजीकृत बकायेदारों के अन्तिम देय बिल की राशि उनके द्वारा पंजीकरण के समय जमा की राशि से कम आती है तो उपभोक्ता से अधिक ली गई राशि आगे के बिलों में समायोजित कर दी जायेगी। यदि बिल की राशि पंजीकृत राशि से अधिक है तो उपभोक्ता द्वारा अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) योजना में पंजीकृत उपभोक्ताओं के बिलों का निस्तारण "प्रथम आओ, प्रथम पाओ" के आधार पर किया जायेगा।

(10) <u>बिल संशोधन की प्रक्रिया</u> :–

(अ) कुछ उपभोक्ताओं को विच्छेदन तिथि, देय धनराशि, कटे संयोजनों पर बिल जारी होते रहने व इसी प्रकार के अन्य कारणों से बिल संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। अतः जिन बकायेदारों के बिल संशोधित होने हैं उनको पंजीकरण के पश्चात शुद्ध बिल जारी करना खण्ड के अधिशासी अभियन्ता का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। बिल का संशोधन व अवास्तविक धनराशि के अपलेखन हेतु अधिशासी अभियन्ता से निम्नतर स्तर का कोई अधिकारी/कर्मचारी अधिकृत नहीं होगा।

(ब) बिलों को संशोधित करने का रिकार्ड निर्धारित प्रारूप–3 में अधिशासी अभियन्ता की व्यक्तिगत कस्टडी में रखा जायेगा।

(स) योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रेवेन्यू एकाउन्ट में पृथक रूप से दर्शायी जायेगी तथा आगामी प्रस्तुत होने वाले ए0आर0आर में पृथक रूप से उल्लिखित होगी।

(11) योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु कोई प्रार्थना–पत्र बिना विशिष्ट कारण के अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

(12) योजना के अन्तर्गत सभी उपभोक्ताओं को विलम्ब सरचार्ज में प्रदान की गयी छूट का दैनिक विवरण सम्बन्धित डिस्काम मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप–4 (संलग्न) तथा अन्तिम विस्तृत विवरण निर्धारित प्रारूप–5 (संलग्न) मे सम्बन्धित योजना के भुगतान प्राप्ति की अन्तिम तिथि से विलम्बतम 07 दिवसों में वाणिज्य स्कन्ध मुख्यालय, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी। जिससे की यह सूचना ससमय मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग को भेजी जा सके ।

<u>संलग्नकः यथोपरि</u> :–

Sanjay

(संजय कुमार सिंह)
<u>निदेशक (वाणिज्य)</u>

पंजीकरण फार्म

विलम्बित भुगतान अधिभार ऐमनेस्टी योजना

(एल0एम0वी0–1 / एल0एम0वी0–2 / एल0एम0वी0–4बी / एल0एम0वी0–5 / एल0एम0वी0–6 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिये)

विद्युत बिल संशोधन एवं विलम्ब भुगतान सरचार्ज में छूट हेतु।

1– उपभोक्ता का नाम : ....

2– उपभोक्ता का मोबाइल नं0 : ....
लेण्डलाइन नं0 : ....

3– उपभोक्ता का पता : ....

4– वितरण खण्ड का नाम : ....

5– वितरण कनेक्शन सं0 / बुक सं0 : ....

6– श्रेणी : ....

7– संयोजन की अद्यतन स्थिति : कटा है / जुड़ा है।

8– अन्तिम भुगतान बिल की छायाप्रति : संलग्न है / नहीं है।

9– विद्युत बकाया बिल : सहमत है / सहमत नहीं है।

10– बकाया बिल की राशि से सहमत न होने के कारण : ....

11– पंजीकरण शुल्क : ....

दिनांक ....

उपभोक्ता के हस्ताक्षर

कार्यालय द्वारा भरा जाना है

पंजीकरण संख्या .... दिनांक ....

पंजीकरण शुल्क .... रसीद संख्या .... दिनांक ....

अधिकारी के हस्ताक्षर

....विद्युत वितरण निगम लि0

प्रारूप–2

विलम्बित भुगतान अधिभार ऐमनेस्टी योजना

विद्युत बिल संशोधन एवं योजना के अन्तर्गत पंजीकृत उपभोक्ताओं का विवरण।

(खण्डीय कार्यालय रजिस्टर)

क0स0	उपभोक्ता का नाम	संयोजन सं0	श्रेणी / उप श्रेणी	पंजीकरण का विवरण			संशोधन के पूर्व की बकाया राशि (रू0)			संशोधन के पश्चात् की बकाया राशि (रू0)			उपभोक्ता को संशोधित बिल निर्गत करने की तिथि	छूट की राशि (रू0)	उपभोक्ता द्वारा जमा की गयी राशि (रू0)
				शुल्क (रू0)	रसीद सं0	रसीद तिथि	मूल	सरचार्ज	योग	मूल	सरचार्ज	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

टिप्पणी:– उक्त विवरण मीटर्ड, अनमीटर्ड, ग्रामीण, शहरी उपभोक्ताओं हेतु श्रेणी एवं उपश्रेणीवार तैयार रखा जाये। इसके अतिरिक्त इस योजना में अनमीटर्ड से मीटर्ड उपश्रेणी में स्थानांतरित उपभोक्ताओं की सूचना भी सुनिश्चित की जाये। यह सॅपूर्ण सूचना योजना के अन्त में मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग को उपलब्ध करायी जानी है।

प्रारूप–3

विलम्बित भुगतान अधिभार ऐमनेस्टी योजना

विद्युत बिल संशोधन एवं योजना के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता (वितरण) द्वारा रखी जाने वाली सूचना।

विद्युत वितरण खण्ड.. दिनांकः...................

क0स0	उपभोक्ता का नाम	संयोजन सं0	श्रेणी /उप श्रेणी	पंजीकरण का विवरण			संशोधन के पूर्व की बकाया राशि (रू0)			संशोधन के पश्चात् की बकाया राशि (रू0)			अपलेखन राशि (रू0)			भुगतान के विवरण			कम्प्यूटर में फीड करने का विवरण	
				शुल्क (रू0)	रसीद सं0	रसीद तिथि	मूल	सरचार्ज	योग	मूल	सरचार्ज	योग	मूल	सरचार्ज	योग	दिनांक	रसीद सं0	राशि (रू0)	दिनांक	किस कर्मचारी द्वारा फीड किया गया।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

टिप्पणीः– उक्त विवरण मीटर्ड, अनमीटर्ड, ग्रामीण, शहरी उपभोक्ताओं हेतु श्रेणी एवं उपश्रेणीवार तैयार रखा जाये। इसके अतिरिक्त इस योजना में अनमीटर्ड से मीटर्ड उपश्रेणी में स्थानांतरित उपभोक्ताओं की सूचना भी सुनिश्चित की जाये। यह सॅपूर्ण सूचना योजना के अन्त में मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग को उपलब्ध करायी जानी है।

प्रारूप—4

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक .... वि0वि0नि0लि0.....................

दिनांक .... तक
(रू0 लाख में)

विलम्बित भुगतान अधिभार ऐमनेस्टी योजना की सूचना

एल0एम0वी0—1(शहरी), एल0एम0वी0—2(शहरी),एल0एम0वी0—4बी, एल0एम0वी0—5(शहरी)
दिनांक 15.04.2017 से 31.05.2017 तक (100 प्रतिशत सरचार्ज में छूट)

एल0एम0वी0—1(ग्रामीण), एल0एम0वी0—2(ग्रामीण), एल0एम0वी0—5 (ग्रामीण)
दिनांक 15.04.2017 से 15.06.2017 तक (100 प्रतिशत सरचार्ज में छूट)

एल0एम0वी—6 (औद्योगिक)
दिनांक 15.04.2017 से 15.05.2017 तक (50 प्रतिशत सरचार्ज में छूट)

क्र0 सं0	क्षेत्र / मंडल / खण्ड का नाम	दिनांक 31.03.2017 तक कुल बकायेदारों की संख्या	दिनांक 31.03.2017 तक कुल बकाया	पंजीकृत उपभोक्ताओं की सं0		पंजीकरण धनराशि		संशोधन से पूर्व वकाया धनराशि		संशोधन के पश्चात वकाया धनराशि		छूट अधिभार धनराशि		छूट का लाभ प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या		उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त की गयी छूट की धनराशि		जमा की गयी धनराशि	
				आज	आज तक	आज	आज तक	आज	आज तक	आज	आज तक	आज	आज तक	आज	आज तक	आज	आज तक	आज	आज तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

टिप्पणी:— उक्त विवरण मीटर्ड, अनमीटर्ड, ग्रामीण, शहरी उपभोक्ताओं हेतु श्रेणी एवं उपश्रेणीवार डिस्काम मुख्यालय पर तैयार रखा जाये। इसके अतिरिक्त इस योजना में अनमीटर्ड से मीटर्ड उपश्रेणी में स्थानांतरित उपभोक्ताओं की सूचना भी रखी जाये। यह सॅपूर्ण सूचना योजना के अन्त में मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग को उपलब्ध करायी जानी है।

प्रारूप–5

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक .... वि0वि0नि0लि0....................

विलम्बित भुगतान अधिभार ऐमनेस्टी योजना की अन्तिम सूचना (डिस्कामवार/श्रेणीवार)

दिनांक..................तक
(धनराशि रू0 लाख में)

एल0एम0वी0–1(शहरी), एल0एम0वी0–2(शहरी),एल0एम0वी0–4बी, एल0एम0वी0–5(शहरी)
दिनांक 15.04.2017 से 31.05.2017 तक (100 प्रतिशत सरचार्ज में छूट)

एल0एम0वी0–1(ग्रामीण), एल0एम0वी0–2(ग्रामीण), एल0एम0वी0–5 (ग्रामीण)
दिनांक 15.04.2017 से 15.06.2017 तक (100 प्रतिशत सरचार्ज में छूट)

एल0एम0वी–6 (औद्योगिक)
दिनांक 15.04.2017 से 15.05.2017 तक (50 प्रतिशत सरचार्ज में छूट)

क्र0सं0	क्षेत्र का नाम	श्रेणी/उपश्रेणी	दिनांक 31.03.2017 तक, कुल बकायेदारों की संख्या	दिनांक 31.03.2017 तक कुल बकाया	पंजीकृत उपभोक्ताओं की सं0	पंजीकरण धनराशि	संशोधन से पूर्व वकाया धनराशि	संशोधन के पश्चात वकाया धनराशि	छूट अधिभार धनराशि 8–9	छूट का लाभ प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या	उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त की गयी छूट की धनराशि	जमा की गयी धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		एल0एम0वी–1										
		शहरी										
		ग्रामीण (मीटर्ड)										
		ग्रामीण (अनमीटर्ड)										
		एल0एम0वी–2										
		शहरी										
		ग्रामीण (मीटर्ड)										
		ग्रामीण (अनमीटर्ड)										
		एल0एम0वी–4बी										
		एल0एम0वी–5										
		शहरी										
		ग्रामीण (मीटर्ड)										
		ग्रामीण (अनमीटर्ड)										
		एल0एम0वी6										
		शहरी										
		ग्रामीण										